न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 244/2017
आरसीएमएस नं. 2017/00051

धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती साकिन मेघाना तहसील नोहर
—अपीलान्ट

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा
2. चन्दो देवी पत्नी हरसुख जाति खाती साकिन मेघाना त0 नोहर
3. कमला पत्नी बनवारी पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन कनाउ त0 भादरा
4. शांति पत्नी भागमल पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन कनाउ त0 भादरा
5. सावित्री पत्नी इन्द्र पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. विमला पत्नी रामप्रताप पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन मोडिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा, हरियाणा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2017
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 169/2012 बअनवान जयसिंह बनाम धर्मपाल आदि

श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 7

निर्णय दिनांक – 8·9·2022

1 संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत अधिकारों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के ख. नं. 323/2 की 7.7020 है0, ख. नं. 327 की 0.9868 है0 कुल 8.6880 है0 भूमि में से 39 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 16 अपीलांट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 का ब.हि.ब. 68 हिस्सा है। वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 24.06.1977 को रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के ख. नं. 327 की 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि खरीद की थी। सार्वजनिक विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सडक नोहर में साहवा के नाम भूमि दर्ज करते हुए मुश्तरका खाता में भूमि होने कारण वादी की 5 बिस्वा भूमि कम कर दी। जबकि सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण की कम होनी थी। इसलिीए प्रतिवादीगण की 5 बिवा भूमि कम कर वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है। वादी ने उपरोक्तानुसार 5 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2 उभयपक्ष की बहस सुनी गइ।

3 विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.07.2012 के नाटिस सम्मन के आधार पर की गई है जो दिनांक 04.08.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। एकपक्षीय कार्यवाही तहसील कर्मचारी से मिलकर झूठी तामील लेने से इन्कारी दिखाई जो विधि विरूद्ध है। किसी गवाहान का पता सम्मन नहीं दर्शाया गया है। रोही मौजा मेधाना तहसील नेाहर की कुल 8.6880 है0 अर्थात लगभ्रग 34 बीघा 7 बिस्वा भूमि है। जिसमें वादी रेस्पो0 सं0 1 की 34 हिस्सा तथा अपीलाण्ट नं. 1 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 6 की 73 हिस्सा भूमि है अर्थात अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की लगभग 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि बची है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने भूमि किस से खरीदी और अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 6 से ही भूमि क्यों मांगी जा रही है। इस तथ्यों पर बहस किया जाना उचित नही समझा गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 6 का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से कोई सम्बन्ध नहीं है। भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें अपीलाण्ट रेस्पो0 सं0 2 ता 6 का 73 हिस्सा देवीलाल वल्द उदाराम कौम ब्राहम्ण का 33 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 34 हिस्सा बेगराज ख्यालीराम श्योनारायण, औमप्रकाश पि0 मनफूल राम जाति जाट का 547 हिस्सा दर्ज है तथा बैंको के नाम रहन है। इस प्रकार कुल भूमि 687 हिस्सा अर्थात 34 बीघा 7 बिस्वा भूमि है। अपीलाण्ट व उसकी माता एव बहनों को ही फरीक बनाया है जबकि सभी आवश्यक पक्षकार का खाता विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए केवल अपीलांट से ही भूमि कैसे मांग की जा सकती है। जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है जिसमें रेस्पोडेंट सं0 1 का कोई दूर दराज सम्बन्ध नहीं है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जाव। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4 विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 24.06.1977 को रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के ख. नं. 327 की 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि खरीद की थी। सार्वजनिक विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक नोहर में साहवा के नाम भूमि दर्ज करते हुए मुश्तरका ख्याता में भूमि होने कारण वादी की 5 बिस्वा भूमि कम कर दी। जबकि सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण की कम होनी थी। इसलिए प्रतिवादीगण की 5 बिस्वा भूमि कम कर वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है। वादी ने उपरोक्तानुसार 5 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा है जो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पूर्व से ही जानकारी रही है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलाण्ट सम्मन की तामील होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आये इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6 अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7 जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है प्रश्नगत भूमि में रेस्पोडेण्ट ने जरिये बैयनामा दिनरांक 24.06.1977 को रोही मोजा मेघाना के खसरा नं. 327 की 1 बीघा भूमि यानि 39 हिस्सा भूमि खरीद की थी। नोहर साहवा सड़क निर्माण में रोही मौजा मेघाना के खसरा नं. 323 की भूमि अवाप्त की गई थी। खसरानं. 323 की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है लेकिन अवाप्त भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर से साहवा के नाम दर्ज करते समय मुश्तरका खाते की भूमि होने के कारण वादी की 5 बिस्वा भूमि कर दी जबकि सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण की कम हेानी चाहिए थी। अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि को जरिये बैयनामा खरीद किया है। अपील में सार्वजनिक निर्माण विभाग का भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अवाप्ति आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस खसरा नं. की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गई है। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2067–70 ग्राम मेघाना तहसील नोहर के अनुसार खसरा नं. 323/2 एवं 327 की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है जिसमें रेस्पोडेण्ट जयसिंह वल्द रामलाल का 34 हिस्सा दर्ज है। रस्पोडेण्ट खरीददार खातेदार होने के कारण उसका हिस्सा कम नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8 उपरोक्त विवेचन एवं विशेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एव उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9 निर्णय आज दिनांक 8. 9. 2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/22

(करतारसिंह पूनीयॉ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 244/2017

आरसीएमएस नं. 2017/00051

धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती साकिन मेघाना तहसील नोहर

—अपीलान्ट

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा
2. चन्दो देवी पत्नी हरसुख जाति खाती साकिन मेघाना त0 नोहर
3. कमला पत्नी बनवारी पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन कनाउ त0 भादरा
4. शांति पत्नी भागमल पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन कनाउ त0 भादरा
5. सावित्री पत्नी इन्द्र पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. विमला पत्नी रामप्रताप पुत्री हरसुख जाति खाती साकिन मोडिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा, हरियाणा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2017

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 169/2012 बअनवान जयसिंह बनाम धर्मपाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री ...सिह पूनिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 7 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2017 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 8.9.22 को जारी की गई।

8/9/22

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ